रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1919] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2014/भाद्र 27, 1936
No. 1919] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2014/BHADRA 27, 1936

IndianCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

का.आ. 2441(अ).––यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2006(अ), तारीख 30/08/2012 द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 73.200 कि.मी. से 190.000 कि.मी. (किरतपुर–नेर चौक सेक्शन) तक का भूखण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 21 के 73.200 कि.मी. से 186.500 कि.मी. तक किरतपुर–नेर चौक सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) तक उक्त खण्ड का चार लेन में विकास करने, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 25.01.2012 को प्रस्तुत की गई बोली हेतु मैसर्स किरतपुर नेर चौक एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ''द आइएल एण्ड एफएस फाइनेंशियल सेन्टर, प्लॉट सी–22, जी ब्लॉक, बान्द्रा–कुरला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई–400051 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3, जिसे तारीख 05.12.2008 की सा.का.नि. 838(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और बोली प्रस्तुत करने की तारीख तक इसमें किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 66.091 कि.मी. के लिए चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), सड़क की निवल लम्बाई 1.97 कि.मी. के लिए आधार दर का 60% और नेर चौक बाइपास, जिसकी कुल लम्बाई 4.550 कि.मी. है, के लिए आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से तथा सुन्दर नगर बाइपास, जिसकी कुल लम्बाई 8.480 कि.मी. है, हेतु आधार दर के 60% के हिसाब से तथा नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर पचास करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले पुलों/संरचनाओं हेतु सारणी संख्या 2 में विनिर्दिष्ट आधार दर पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर, या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

IndiaCode

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

शुल्क की ''आधार दर'' प्रतिवाहन प्रति यात्रा (रुपए में)						
स्थायी पुल अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहन	एचसीएम, इएमइ या एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पन्द्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए	1	1.50	3	3.30	4.50	6

तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए						
एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
दो सौ करोड़ रुपए से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ या उसके भाग के लिए	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट पर हेतु, शोध्य और संदेय होगा

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
8.360 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 81.620 कि.मी.) (रोपड़ जिले में मौड़ा गांव के पास)	23.262, सारणी 1 में दी गई आधार दरों के 100% पर
151.735 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (मंडी जिले में धार गांव के पास)	42.829 कि.मी. चार लेन, सारणी 1 में दी गई आधार दरों के 100% पर, और 1.97 कि.मी. दो लेन, सारणी 1 में दी गई आधार दरों के 60% पर

IndiaCode

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, के उपयोग के लिए बाइपासों की 4 लेन की लम्बाई हेतु ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, तथा बाइपासों की 2 लेन की लम्बाई हेतु ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के 60% के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपासों की लम्बाई (कि.मी. में) और नाम जिनके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
151.735 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (मंडी जिले में धार गांव के पास)	4.550	4—लेन का नेर चौक बाइपास, रारा—21 के 184.323 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 184.400 कि.मी.) से प्रारम्भ होकर 188.874 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 190.000 कि.मी.) पर मिलते हुए।
151.735 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (मंडी जिले में धार गांव के पास)	5.678	*2 लेन का सुन्दरनगर बाइपास, रारा—21 के 167.473 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 173.904 कि.मी.) से प्रारम्भ होकर 179.582 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 179.582.) पर मिलते हुए।

* सुन्दरनगर बाइपास सेक्शन के चार लेन का हो जाने पर और सुन्दरनगर बाइपास सेक्शन के संबंध में अनंतिम या पूरा हो जाने संबंधी प्रमाणपत्र जारी हो जाने पर, रियायतग्राही को 4 लेन के सुन्दरनगर बाइपास के लिए शुल्क की मांग तथा उसे संग्रहीत करने का अधिकार होगा।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों)/संरचना/(संरचनाओं), जिनकी लागत नीचे दी गयी है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	पुल/संरचना की लम्बाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए सारणी 2 में दी गयी आधार दरों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई	लागत
8.360 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 81.620 कि.मी.) (रोपड़ जिले में मौड़ा गांव के पास)	175 कि.मी. सुरंग (डिजाइन चैनज 12.732 कि.मी. से 14.482)	219.72 करोड़ रु.
8.360 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 81.620 कि.मी.) (रोपड़ जिले में मौड़ा गांव के पास)	0.65 कि.मी. सुरंग (डिजाइन चैनज 15.810 कि.मी. से 16.400 कि.मी. तक)	84.01 करोड़ रु.
8.360 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 81.620 कि.मी.) (रोपड़ जिले में मौड़ा गांव के पास)	0.40 कि.मी. पुल (डिजाइन चैनज 23.700 कि.मी. से 24.100 कि.मी. तक)	51.70 करोड़ रु.
8.360 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 81.620 कि.मी.) (रोपड़ जिले में मौड़ा गांव के पास)	0.40 कि.मी. सुरंग (डिजाइन चैनज 23.155 कि.मी.)	51.35 करोड़ रु.
151.735 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (मंडी जिले में धार गांव के पास)	1.41 कि.मी. सुरंग (डिजाइन चैनज 148.580 कि.मी. से 149.990 कि.मी. तक)	140.68 करोड़ रु.
151.735 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (मंडी जिले में धार गांव के पास)	0.86 कि.मी. सुरंग (डिजाइन चैनज 157.800 कि.मी. से 158.660 कि.मी.)	85.94 करोड़ रु.
151.735 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (मंडी जिले में धार गांव के पास)	0.615 कि.मी. पुल (डिजाइन चैनज 130.165 कि.मी.)	66.13 करोड़ रु.
कुल	6.085	

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात् :

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. ऐसा यांत्रिक वाहन जो अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग

IndiaCode

पर प्रवेश करवाने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 10 गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन का राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तब कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी—1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और उसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क के पिछले संशोधन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर को संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा / 13013 / 670 / सीओ / 13—14 / जीसी किरतपुर—नेरचौक(73.200—186.500) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2014

S.O. 2441(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2006(E), dated 30.08.2012, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 73.200 to kilometer 190.000 (Kiratpur – Ner Chowk section) of National Highway No. 21 in the State of Himachal Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Kiratpur Ner Chowk Expressway Limited having its registered office 'The IL & FS Financial Centre, Plot C-22, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bids submitted on 25.01.2012 for the development of Kiratpur – Ner Chowk section from Km 73.200 to Km 186.500 on National Highway No. 21 (hereinafter referred to as the "said section") to four laning, operation and maintenance of the said section under NHDP Phase-III on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide GSR 838 (E) dated 05.12.2008 and its amendments till bid submission date, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 66.091 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate"), 60% of the base rate for net road section length of 1.97 km and at one and half times the base rate for Nerchowk bypass having an aggregate length of

IndiaCode

4.550 km and 60% of one and half times the base rate for Sunder Nagar bypass having an aggregate length of 5.678 km on the Type of Vehicles specified in Table 1 below and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structures costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE 2

"Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)						
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**Three-axle commercial vehicles**	**HCM, EME or MAV**	**Oversized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	3.30	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and upto Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s) :

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 8.360 (Design Chainage) (Existing Chainage Km. 81.620) (near Maura village in Ropar district)	23.262 at 100% of the base rates given in Table 1
Km. 151.735 (Design Chainage) (near Dhar village in Mandi district)	42.829 km four lane at 100% of the base rates given in Table 1 and 1.97 km two lane at 60% of the base rates given in Table 1

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table 1 above for the 4 lane length and 60% of one and half times of base rate mentioned in Table 1 above for 2 lane length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s) :

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length & Names of bypass (in km) for which additional fee is payable	
Km. 151.735 (Design Chainage) (near Dhar village in Mandi district)	4.550	4-lane Nerchowk Bypass taking off at km. 184.323 (Design Chainage) (existing chainage km 184.400) and joining at km. 188.874 (Design Chainage) (existing chainage km 190.000) of NH-21
Km. 151.735 (Design Chainage) (near Dhar village in Mandi district)	5.678	*2- lane Sunder Nagar Bypass taking off at km. 167.473 (Design Chainage) (existing chainage km 173.904) and joining at km. 179.582 (Design Chainage) (existing chainage km 179.582) of NH-21

* Upon 4 laning of the Sundernagar Bypass Section and issuance of Provisional or Completion Certificate with respect to Sundernagar Bypass Section, Concessionaire shall have right to demand and collect fee for 4 laned Sundernagar Bypass Section.

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s) :

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and Cost of bridge /structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable as per the base rates given in Table 2	
	Length	Cost
Km 8.360 (Design Chainage) (Existing Chainage Km. 81.620) (near Maura village in Ropar district)	1.75 km Tunnel (Design Chainage from km 12.732 to km 14.482)	Rs 219.72 crore
Km 8.360 (Design Chainage) (Existing Chainage Km. 81.620) (near Maura village in Ropar district)	0.65 km Tunnel (Design Chainage from km 15.810 to km 16.400)	Rs 84.01 crore
Km 8.360 (Design Chainage) (Existing Chainage Km. 81.620) (near Maura village in Ropar district)	0.40 km Tunnel (Design Chainage from km 23.700 to km 24.100)	Rs 51.70 crore
Km 8.360 (Design Chainage) (Existing Chainage Km. 81.620) (near Maura village in Ropar district)	0.40 km Bridge (Design Chainage km 23.155)	Rs 51.35 crore
Km. 151.735 (Design Chainage) (near Dhar village in Mandi district)	1.41 km Tunnel (Design Chainage from km 148.580 to km 149.990)	Rs 140.68 crore
Km. 151.735 (Design Chainage) (near Dhar village in Mandi district)	0.86 km Tunnel (Design Chainage from km 157.800 to km 158.660)	Rs 85.94 crore
Km. 151.735 (Design Chainage) (near Dhar village in Mandi district)	0.615 km Bridge (Design Chainage km 130.165)	Rs 66.13 crore

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and varnacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within six months from the date of preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/670/CO/13-14/GC Kiratpur – Nerchowk (73.200– 186.500) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054